न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज०

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का खेरलीरेल बनाम तेजासिंह S/O लक्ष्मीनारायण

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट गढ़लावता

प्रकरण संख्या RA/6

निर्णय दिनॉक :– 17/4/18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम गढ़लावता की आ.ख.न. 1076 कुल रकबा 0-95 किस्म जमीन गैरमु० में से 440 वर्गफुट रकबे पर श्री तेजासिंह S/O लक्ष्मीनारायण ने अनाधिकृत रूप से रास्ता अतिक्रमण कर पारदीवारी कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का खेरलीरेल द्वारा दिनॉक 10/4/18 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. खेरलीरेल के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी तेजासिंह S/O लक्ष्मीनारायण निवासी गढ़लावता को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बादे तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी तेजासिंह उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 1076 रकबा 0-95 में से 440 वर्गफुट रकबे किस्म गैरमु०रास्ता है जो नियमन योग्य नहीं है लिहाजा तेजासिंह को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 4 Paise का 50 गुणा 2/- रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है गांवा कायमी हेतु डीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी (TWORs-) वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी खेरली रेल भू.अ.निरी. खेरली रेल को लिखा जाकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर (अलवर)

तहसीलदार
कठूमर अलवर (राज.)